

प्रेषक,
वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक:: 21 जनवरी, 2019

विषय:- इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-कैम्प-786/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2018-19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 1196.98 के सापेक्ष इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत (शासन के पत्र दिनांक 13.04.2018 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की धनराशि ₹ 337.04 लाख को भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 371.59 लाख में से घटाते हुए) निम्न विवरण के अनुसार धनराशि ₹ 34.55 लाख (रूपये चौतीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक/योजना का नाम	2018-19 में प्राविधान	वित्तीय स्वीकृति हेतु स्वीकृति धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स	1196.98	34.55
योग	1196.98	34.55

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन तथा पत्र संख्या-2-3/2015-ए.एस.आई.ई.एस, दिनांक 21.04.2015 द्वारा जारी प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है।

3- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-2/2019(1)/1661(1)/12-5-2018. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।